संख्या-64/2025/1556/2025/12-5/107/2025/2004744

प्रेषक,

टी0के0शिबु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0,

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2025**

विषयः- किसान रजिस्ट्री के सुदृढ एवं समन्वित क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन संरचना, मानदेय निर्धारण तथा संचालन प्रक्रिया विषयक फर्जी/कूटरचित पत्र संख्या-1/2025/27/47-1-2025-7331/कृ0नि0प्र0/2025टी0सी0-4, दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 का संज्ञान न लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किसान रजिस्ट्री के सुदृढ एवं समन्वित क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन संरचना, मानदेय निर्धारण तथा संचालन प्रक्रिया विषयक फर्जी/कूटरचित पत्र संख्या-1/2025/27/47-1-2025-7331/कृ0नि0प्र0/2025टी0सी0-4, दिनांक 13 अक्टूबर, 2025(प्रति संलग्न), जो वर्तमान में सोशल मीडिया/वाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित हो रहा है।

2- उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संदर्भित पत्र/आदेश विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है तथा यह पत्र/आदेश पूर्णतः फर्जी/कूटरचित है। उक्त पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही, नियुक्ति, मानदेय भुगतान अथवा अन्य प्रशासनिक निर्णय लिया जाना अनुचित एवं अवैध होगा।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त फर्जी/कूटरचित पत्र के आधार पर कोई भी कार्यवाही सम्पादित न की जाए तथा यदि जनपदों में कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, तो उसे तत्काल प्रभाव से रोके जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की जाए।

इस सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित कार्यालयों को तदनुसार सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
टी0के0शिबु
विशेष सचिव।

संख्या-64/2025/1556/2025/12-5-2025/ **तददिनांक**

प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कृपया इस विषय पर समाचार पत्रों के आगामी अंक में विज्ञप्ति निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 1/2025/27/47-1-2025-7331/ कृ0 नि0 प्र0/2025 टी0 सी0-4

प्रेषक,

श्री आतिश चंद्रा,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विभाग, लखनऊ।

सं0-8/338/Pers/25

सचिव

कृषि विभाग अनुभाग-1 लखनऊ

दिनांक:- 13 अक्तूबर 2025

महोदय,

19.12.2025

प्रमुख सचिव

कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान,

कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार

एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग,

उ0प्र0 शासन।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 6/2024/777/44-2-2024/44-1429(88)/7/2023 दिनांक 13 नवंबर 2024 शासनादेश संख्या 4/2025/1047-3-2025-9-747/कृ0 नि0 प्र0/2025 टी0 सी0-4 दिनांक 04 मार्च 2025 के माध्यम से प्रदेश में अध्यासित किसानों हेतु किसान रजिस्ट्री पूर्ण कराने की योजना प्रारंभ की गयी है। इस हेतु निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए है

विषय: उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) के सुदृढ़ एवं समन्वित क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन संरचना, मानदेय निर्धारण तथा संचालन प्रक्रिया के संबंध में आदेश।

2339/SAdm/2025

VS(TKS)

19/12/2025

(रतन कुमार श्रीवास्तव)

निजी सचिव,

सचिव,

कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

कृषि विपणन, कृषि [illegible] साधा

एवं निर्यात प्रोत्साहन [illegible]

उ0प्र0 शासन।

1. प्रस्तावना

किसान रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश में कृषकों की एकीकृत डिजिटल पहचान विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से कृषकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बीमा एवं अन्य लाभों का त्वरित, पारदर्शी एवं आधार-सत्यापित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक समर्पित मानव संसाधन की नियुक्ति आवश्यक है।

2. उद्देश्य

(क) कृषकों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना

(ख) आधार-सत्यापित डेटा सुनिश्चित करना

(ग) योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करना

S.O.-कृषि-5/खुली उजना/22-12-2025

2584/VS(TKS)/25

VS(GD)

22/12/25

क्रमशः 2

(टी0 के0 शिबु)

विशेष सचिव, कृषि विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(घ) विभिन्न विभागों के बीच डेटा एकीकरण को सक्षम बनाना

(ङ) राज्य में कृषि आधारित नीतिगत निर्णय हेतु डेटा उपलब्ध कराना

3. मानव संसाधन संरचना

किसान रजिस्ट्री के संचालन हेतु निम्नलिखित पदों का सृजन/स्वीकृति प्रदान की जाती है:

(अ) *जोनल हेड (Zonal Head)*

- कुल पद: 18
- प्रत्येक मंडल में 01 पद
- कार्य: मंडलीय स्तर पर संपूर्ण किसान रजिस्ट्री कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, दिशा-निर्देशन एवं जिलेवार प्रगति की समीक्षा।

(ब) *जिला समन्वयक (District Coordinator)*

- कुल पद: 75
- प्रत्येक जिले में 01 पद
- कार्य: जिले हेतु लक्ष्य निर्धारण, ब्लॉक समन्वयकों की प्रगति की निगरानी एवं जनसंपर्क/जागरूकता गतिविधियों का पर्यवेक्षण।

(स) *ब्लॉक समन्वयक (Block Coordinator)*

- कुल पद: 2,478
- प्रत्येक ब्लॉक में 03 पद
- गणना: 826 ब्लॉक × 3 = 2,478

क्रमशः 3

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- कार्य: किसान रजिस्ट्री फॉर्म संग्रह, दस्तावेज़ सत्यापन, किसान डेटा प्रविष्टि एवं ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार।

4. मानदेय/भुगतान

किसान रजिस्ट्री में फॉर्म भरने एवं डेटा अपलोड किए जाने पर प्रत्येक फॉर्म के लिए ₹604 (छः सौ चार रुपये मात्र) का भुगतान निर्धारित किया जाता है।

यह भुगतान कार्यक्रम की प्रगति के अनुसार कार्य-प्रदर्शन आधारित (Performance Based Payment) माना जाएगा।

5. संचालन प्रक्रिया

(क) ब्लॉक समन्वयक ग्रामवार फॉर्म संग्रह कर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे।

(ख) जिला समन्वयक प्रत्येक ब्लॉक की प्रगति ऑनलाइन डैशबोर्ड पर मॉनिटर करेंगे।

(ग) जोनल हेड मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित कर मासिक प्रगति प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(घ) सभी स्तरों पर कार्य का सत्यापन कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

6. उत्तरदायित्व

सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि:

- किसान रजिस्ट्री डेटा 100% आधार-सत्यापित हो।

- किसी भी प्रकार की त्रुटि/फर्जीवाड़ा न हो।

- पोर्टल पर समयबद्ध अपडेट उपलब्ध कराए जाएं।

7. लागू होना

यह शासनादेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

क्रमशः 4

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. आदेश

इस शासनादेश का पालन राज्य के सभी मंडल, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कृषि कार्यालय अनिवार्य रूप से करेंगे।

भवदीय,
श्री आतिश चंद्रा
(सचिव)
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

संख्या: 1/2025/27/47-1-2025-7331/कृ0 नि0 प्र0/2025 टी0 सी0-4

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं मंडलीय अधिकारी।
3. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी।
4. गार्ड फाइल।

भवदीय,
श्री रवीन्द्र कुमार
(विशेष सचिव)
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

RADHE KRISHNA ENTERPRISES (SSBSS)
EMPLOYEE EDUCATION & KYC REQUIREMENT FORMAT

1. POST-WISE MINIMUM EDUCATION REQUIREMENT

Zonal Head (Mandal Level)

- Minimum: Graduation (Any Stream)
- Preferred: Post Graduation / Management / Rural Development
- Skills: Field Management, Reporting, Computer Knowledge

District Coordinator

- Minimum: Graduation (Mandatory)
- Preferred: Computer Knowledge, Field Experience
- Skills: Data Verification, Coordination, MIS Reporting

Block Coordinator

- Minimum: Intermediate (12th Pass)
- Preferred: Graduation (Optional)
- Skills: Farmer Interaction, Document Collection, Field Visits

2. MANDATORY KYC DOCUMENTS (For All Posts)

- Aadhar Card (Original + Xerox) – Mandatory
- PAN Card – Mandatory
- 2 Passport Size Photos – Mandatory
- Bank Passbook / Cancelled Cheque – Mandatory
- Education Certificates – As per post requirement
- Address Proof – Aadhar / Voter ID
- Active Mobile Number
- Email ID for account login
- Driving License

3. ADDITIONAL VERIFICATION (If Required)

- Police Verification (Optional)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- Local Reference Contact
- Local ID Proof

Radhe Krishna Enterprises (Sahaj Shulabh Balram Seva Samiti – SSBSS)
MASTER SALARY FORMAT

1. ZONAL HEAD

Basic Salary	₹35,000
Allowances	₹9,200
Conveyance / TA	₹3,000
Medical Allowance	₹2,000
Other Allowances	₹2,000
TOTAL	₹51,200
Salary Release	Salary 5th of every month

2. DISTRICT COORDINATOR

Basic Salary	₹25,000
Allowances	₹5,900
Conveyance / TA	₹2,000
Medical Allowance	₹1,000
Other Allowances	₹1,000
TOTAL	₹34,900
Salary Release	Salary 5th of every month

3. BLOCK COORDINATOR

Basic Salary	₹20,000
Allowances	₹5,000
Conveyance / TA	₹2,000
Medical Allowance	₹1,000
Other Allowances	₹500
TOTAL	₹28,500
Salary Release	Salary 5th of every month

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।